

She was very sincere and devoted to her work. We all remember her contributions and wish her a healthy retired life.

S.12: Shri Prem Kumar, (Ex-serviceman) had joined the RRCAT as Security Guard on 15.07.1993 and later became Driver Gr.I on 25.08.1995. After serving the Centre for nearly 22 years, he retired on 31.03.2015. We remember him as an extremely helpful person with impeccable manners and full devotion to his profession. His vehicle was always kept in the best possible condition. We wish him a healthy and happy retired life.



S.13: Shri Mishrilal Dubey, had joined the RRCAT as Security Guard on 31st December, 1993. After serving this Centre for about 21 years, he retired on 31st March 2015. We remember his contributions and wish him a healthy retired life.



S.14: Shri Shyamlal, had joined the RRCAT as Security Guard on 10th March 1995. After serving this Centre for about 20 years, he retired on 30th April 2015. We remember his contributions and wish him a healthy retired life.



S.15: Shri Abhilakh Singh, had joined the RRCAT as Security Guard on 09th January 1995. After serving this Centre for about 20 years, he retired on 31st March 2015. We remember his contributions and wish him a healthy retired life.



N.9 : आरआरकेट में माह जनवरी, 2015 से जून, 2015 तक की अवधि के दौरान हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ –

1. विश्व हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन : आरआरकेट की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से विश्व हिन्दी दिवस, राजभाषा वार्ता एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मंगलवार 20 जनवरी, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे आरआरकेट के मुख्य सभागृह में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वरुण कपूर, पुलिस महानिरीक्षक एवं निदेशक, पीआरटीएस, इन्दौर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गुरनाम सिंह, राजा रामन्ना फैलो, आरआरकेट ने की। इस कार्यक्रम में श्री बी.के.जेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री सुदीप गोयनका, पुलिस अधीक्षक, पीआरटीएस भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं वार्ताकार ने 'साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता' विषय पर रोचक वार्ता प्रस्तुत की। इस अवसर पर हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।



केन्द्र की गृह पत्रिका 'प्रगति' के 26^{वें} अंक का लोकार्पण करते हुए मुख्य अतिथि श्री वरुण कपूर, निदेशक, पीआरटीएस, इन्दौर। साथ में हैं श्री गुरनाम सिंह, राजा रामन्ना फैलो तथा श्री बी.के.जेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अध्यक्ष, राभाकास।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें : राभाकास की 104^{वीं} एवं 105^{वीं} बैठक का आयोजन क्रमशः दिनांक

16.03.2015 एवं दिनांक 11.06.2015 को किया गया जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

3. हिन्दी कार्यशाला का आयोजन : दिनांक 04.03.2015 को केन्द्र के हिन्दीतर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कुल 21 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। उक्त कार्यशाला में संघ की राजभाषा नीति, पऊवि की गतिविधियां, प्रशासनिक एवं लेखा शब्दावली, केन्द्रीय आचरण नियमावली, यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी में कार्य विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए। इसी प्रकार दिनांक 10.04.2015 को प्रशिक्षणार्थी वैज्ञानिक अधिकारियों एवं वृत्तिका प्रशिक्षणार्थी केटेगरी-1 तथा केटेगरी-2 के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 7 टीएसओ तथा 32 वृत्तिका प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला में संघ की राजभाषा नीति, पऊवि की गतिविधियां, प्रशासनिक एवं लेखा शब्दावली, केन्द्रीय आचरण नियमावली, यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी में कार्य विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए। कार्यशाला में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों से अपने रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया।

4. गृह पत्रिका 'प्रगति' के 26वें अंक का विमोचन : गृह पत्रिका 'प्रगति' के 26वें अंक का विमोचन विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर दिनांक 20.01.2015 को श्री वरुण कपूर, पुलिस महानिरीक्षक एवं निदेशक, पीआरटीएस, इन्दौर द्वारा किया गया। जिसका वितरण केन्द्र तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न यूनिटों में किया गया। उक्त अंक को इन्टरनेट पर भी अपलोड किया गया।

5. वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन : दिनांक 25.03.2015 को केन्द्र में वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 'प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र में स्वच्छता का महत्व' पर श्री पुरुषोत्तम श्रीवास्तव, प्रमुख, पीएचपीएमएस, आरआरकेट तथा 'सीआईएसएफ की कार्यप्रणाली' विषय पर श्री प्रदीप गोदारा, प्रभारी प्रशिक्षण सेल, सीआईएसएफ देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इन्दौर ने व्याख्यान प्रस्तुत किए।

6. राजभाषा निरीक्षण : परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशानुसार राजभाषा संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु राजभाषा निरीक्षण समिति द्वारा आरआरकेट के लेखा एवं

सुरक्षा अनुभाग का निरीक्षण दिनांक 23.02.2015 को किया गया। इसी प्रकार दिनांक 12.06.2015 को केन्द्र के उद्यान अनुभाग एवं एलबीएआईडी का निरीक्षण किया गया।

7. आरआरकेट को हिन्दी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजभाषा शील्ड : दिनांक 29-30 जनवरी, 2015 का आईपीआर, गांधीनगर में आयोजित अखिल भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के 16वें राजभाषा सम्मेलन में आरआरकेट को राजभाषा हिन्दी में सर्वोत्तम कार्यों के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। डॉ. रतन कुमार सिन्हा, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग ने केन्द्र के श्री बी.के. जेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा श्री मनोज शर्मा, उपनिदेशक (राजभाषा) को शील्ड प्रदान की। आरआरकेट के निदेशक महोदय ने केन्द्र के सभी अधिकारियों /कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी। समिति के सभी सदस्यों ने भी इस पर प्रसन्नता व्यक्त की।



अखिल भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के 16वें राजभाषा सम्मेलन के दौरान आरआरकेट को राजभाषा हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉ. रतनकुमार सिन्हा, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए श्री बी.के. जेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री मनोज शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा)

8. हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन : केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक माह में किया जाए ताकि पूरे वर्ष भर हिन्दी की गतिविधियाँ चलती रहे। इसी क्रम में मई एवं जून



2015 में क्रमशः हिन्दी निबंध एवं कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

9. इसके अलावा आउटरिच कार्यक्रम, स्थापना दिवस, विज्ञान दिवस समारोह आदि के बैनर, आमंत्रण पत्र, प्रेस रीलज हिन्दी में तैयार किए गए।

राजाभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)

राजाभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले समस्त कागजात अनिवार्य रूप से केवल द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाने चाहिए। कृपया यह ध्यान रखें कि इसमें किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है।

धारा 3(3) की श्रेणी में आने वाले कागजात निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

1. संकल्प
2. सामान्य आदेश
3. नियम
4. अधिसूचनाएँ
5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें
6. प्रेस विज्ञप्तियाँ
7. संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें
8. सरकारी कागजात
9. संविदाएं
10. करार
11. अनुज्ञप्तियाँ
12. अनुज्ञापत्र
13. टेंडर नोटिस
14. टेंडर फार्म आदि

राजभाषा नियम 1976 का नियम 10(4)

केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

राजभाषा नियम 1976 का नियम 8(4)

केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

मनोज कुमार शर्मा, उपनिदेशक (राजभाषा)
(manojsharma@rrcat.gov.in)



Dr. Anil Kakodkar, Member, Atomic Energy Commission and former Chairman, AEC & former Secretary, DAE visiting a laboratory in the Indus-2 Synchrotron Radiation Source on February 19, 2015.



Dr. Srikumar Banerjee, Homi Bhabha Chair Professor and former Chairman, AEC & Secretary, DAE, visiting Solid State RF Power Station in Indus Accelerator Complex on May 25, 2015.